प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 111/2023 (अपील सूचना का अधिकार)

प्रकाश चन्द्र पालीवाल पुत्र मोहनलाल ब्राह्मण निवासीः 287–ए, श्रीनाथ–विला, पुरानी बस्ती, चारभुजा मन्दिर के पास, गणेश नगर, पराड़ा, तहसील–गिर्वा उदयपुर

.............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर (राज.)

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 10/10/2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 07.08.2023 को एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र कमांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/111/23/1255–56 दिनांक 15.09.2023 से लिखा गया। अपीलार्थी अनुपस्थित। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

प्रत्यर्थी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक स.लो.सू.अ./2023/1910 दिनांक 09.10.2023 से जवाब प्रस्तुत करने हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बिन्दु संख्या 1 व 2 में कार्यालय हाजा के दर्ज प्रकरण संख्या 110/1981 (किस्म वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं घोषणा) उनवान रामलाल वगैरा बनाम कालूलाल वगैरा की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रति की सूचना चाही गई थी। चाही गई सूचना 40 वर्ष से अधिक पुरानी होने से रिकार्ड की तलाश की जा रही है। रिकार्ड पाये जाने पर सूचना उपलब्ध करवा दी जायेगी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड कार्यालय गिर्वा के प्रकरण संख्या 110/1981 (किस्म वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं घोषणा) उनवान रामलाल वगैरा बनाम कालूलाल वगैरा की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रति चाही गई थी। उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के पत्रांक 1910 दिनांक 09.10.2023 अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रिकार्ड 40 वर्ष पुराना होकर रिकार्ड की तलाशी की जा रही है।

चूंकि रिकार्ड पुराना है एवं रिकार्ड की तलाशी की जा रही है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील अंतर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आंशिक स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना की गहन तलाश कर वांछित सूचना प्रत्यर्थी को 20 दिवस में नियमानुसार निशुल्क उपलब्ध करावे।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी गिर्वा को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर